**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**राजस्व विभाग**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 398**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 06 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।)**

**देश के करदाता**

398. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में एक करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे लोगों में से पेशेवर करदाताओं की संख्या कितनी है, विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा करदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): 1 करोड़ रुपये से अधिक की रिटर्न आय के साथ ई-रिटर्न जमा करने वाले व्यक्तियों की निर्धारण-वर्षवार संख्या निम्नानुसार है:

| **निर्धारण वर्ष** | **व्यक्तियों की संख्या** |
|---|---|
| 2019-20 | 1,09,707 |
| 2020-21 | 1,19,232 |
| 2021-22 | 1,27,256 |
| 2022-23 | 1,87,905 |
| 2023-24 | 2,16,217 |

*नोट: निर्धारण वर्ष 2019-20 और निर्धारण वर्ष 2020-21 का ई-रिटर्न 31-मई-2021 तक लिया गया है और निर्धारण वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का ई-रिटर्न 31 दिसंबर, 2023 तक लिया गया है।*

(ख) 'पेशे' को अपने व्यवसाय की प्रकृति के रूप में सूचित करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या निम्ननुसार है:

| निर्धारण वर्ष | व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| 2019-20 | 6,555 |
| 2020-21 | 7,011 |
| 2021-22 | 6,853 |
| 2022-23 | 10,528 |
| 2023-24 | 12,218 |

नोट: (i) आईटीआर -1 और आईटीआर -2 में इन आयकर विवरणियों को व्यवसाय की प्रकृति विनिर्दिष्ट करने का विकल्प नहीं है।

(ii) वार्षिक आय में पेशे से आय के साथ-साथ आय के अन्य मद भी शामिल हैं।

(ग) करदाताओं की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास निम्ननुसार हैं -

**(i) नया प्रपत्र 26एएस** - इस नए प्रपत्र में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रह, विनिर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी), और करों का भुगतान, मांग और रिफंड आदि की सभी जानकारी शामिल है। इसके अलावा, प्रपत्र 26एएस में एसएफटी डेटा का विवरण शामिल है। करदाता अपने लेन-देन के बारे में पहले से जागरूक रहते हैं और उन्हें अपनी वास्तविक आय का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(ii) **आयकर विवरणियों को पहले से भरना** - कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरी हुई आयकर विवरणियां (आईटीआर) प्रदान किए गए हैं। पहले से भरने के लिए जानकारी के दायरे में वेतन आय, बैंक ब्याज, लाभांश आदि जैसी जानकारी शामिल हैं।

(iii) **अद्यतन आयकर विवरणी** - आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139(8क) करदाता को संगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर किसी भी समय अपनी आयकर विवरणी को अद्यतन करने की सुविधा देती है ताकि वह एक अद्यतन आयकर विवरणी स्वेच्छा से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और लागू होने पर अतिरिक्त कर का भुगतान करके, जैसा भी लागू हो, दाखिल कर सके। इसके अलावा, करदाताओं को अद्यतन आयकर विवरणी में अपनी असूचित या कम-दिखायी गई आय का खुलासा करने की अनुमति देने के लिए ई-सत्यापन योजना शुरू की गई थी।

(iv) **कारपोरेट कर दर में कमी** - वित्त अधिनियम, 2016 से शुरू होकर, कारपोरेटों को उपलब्ध छूट और प्रोत्साहनों को चरणबद्ध करते हुए कारपोरेट कर दरों को धीरे-धीरे कम किया गया है ताकि कर आधार बढ़ाया जा सके।

(v) **व्यक्तिगत आयकर का सरलीकरण** - वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तिगत करदाताओं को कम स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया, यदि वे विनिर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं।

(vi) **टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार** - नए करदाताओं को आयकर के दायरे में लाने के लिए, भारी नकदी निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागियों, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद आदि को शामिल करके टीडीएस/टीसीएस का दायरा बढ़ाया गया।

******